



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08092026-276067
CG-DL-E-08092026-276067

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36]
No. 36]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 8, 2026/ भाद्र 17, 1948
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 8, 2026/BHADRA 17, 1948

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2026

आ.अ. 36(अ).— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 के खंड(ग) के उपबंधों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा विनिर्दिष्ट करता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित कोविड-19 संदिग्ध या प्रभावित ऐसे व्यक्ति, जो डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए आवेदन करते हैं और जो संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसके अनुरोध का सत्यापन किए जाने की शर्त के अधीन हैं, इस विषय पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों एवं दिशानिर्देशों के साथ पठित, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ.सं. 1964 (अ.) दिनांक 19 जून, 2020 के जरिए यथासंशोधित, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के भाग IIIक, के उपबंधों के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 के अंतर्गत दिनांक 09.09.2026 को अधिसूचित होने वाले तमिलनाडू के 35-मदुरांटकम (अ.जा.) और 101-धारापुरम (अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों, पुडुचेरी की 09-थट्टानचावाडी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के 70-रेजीनगर और 210-नन्दीग्राम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों और असम की 09- नगांव लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचनों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए व्यक्तियों की एक श्रेणी होंगे।

[फा. सं. 52/2026/एसडीआर/खंड-IV]

आदेश से,

एस.बी. जोशी, प्रधान सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th September, 2026

O.N. 36(E).— In pursuance of the provisions of clause (c) of Section 60 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby specifies that the **Covid-19** suspected or affected person, certified by competent authority, who applies for voting by postal ballot paper, and subject to verification of their request by the Returning Officer concerned, would be a class of persons to give their vote by postal ballot in the **current bye-elections to the 35-Madurantakam(SC) and 101-Dharapuram(SC) Assembly Constituencies in Tamil Nadu, 09-Thattanchavady Assembly Constituency in Puducherry, 70-Rejinagar and 210-Nandigram Assembly Constituencies in West Bengal and 09-Nagaon Parliamentary Constituency in Assam to be notified on dated 09.09.2026**, under Section 30 of the Representation of the People Act, 1951, as per the provisions in Part IIIA of the Conduct of Elections Rules, 1961, as amended vide Ministry of Law & Justice, Govt. of India, Notification SO No. 1964(E), dated 19th June, 2020 read with the directions and guidelines issued by the Election Commission on the subject.

[F. No. 52/2026/SDR/Vol.IV]

By Order,

S.B.JOSHI, Principal Secy.